कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, धार वन मण्डल,
माण्डव रोड धार (म.प्र.) 454001

Phone & Fax 07292–222250, Email – dfotdhar@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2022 / 2413 धार, दिनांक 21 / 05 / 2022

प्रति

01 Dy. Chief Engineer (Constructuin) III,
Western Railway, Pratapnagar,
Vadodara-390004

02 Forest Range Officer
Range Sardarpur/Tanda

विषयः– Proposal for diversion of forest land 241.675 hec. for construction of New Railway Board Gauge line between chhotaudepur to Dhar.

संदर्भः– 01 आवेदक विभाग का पत्र क्रमांक / बी.आर.सी. / डब्ल्यु0 / 115 / 05 (फॉरेस्ट) दिनांक 17.05.2022

02 इस कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति का दिनांक 07.08.2022

––000––

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र से वनमण्डल धार के वन परिक्षेत्र सरदारपुर / टाण्डा की वन भूमि प्रभावित हो रही है। छोटाउदयपुर से धार के बीच नई रल्वे बॉड गेज लाईन हेतु प्रभावित वन क्षेत्र 248.329 हे0 (धार–241.675 एवं अली0 6.654 हे0) के व्यपवर्तन हेतु वन संरक्षण अनिधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव की हार्ड कॉपी 05 प्रति में प्रस्तुत की है। प्रस्ताव का ऑनलाईन प्रपोजल नं. FP/MP/RAIL/154962/2022 ऑनलाईन प्रस्ताव की हार्डकापी 05 प्रतियो में मय मानचित्रो के इस कार्यालय को दिनांक 18.05.2022 को प्राप्त हुई है, जो 04 प्रति में मूलतः संलग्न है।

ब्राडगेज

प्रस्ताव हार्डकॉपी में आवेदक द्वारा लगाये गये भाग 1 की जानकारी प्रमाण पत्रो, एवं मानचित्रो का मौका सत्यापन करे तथा सत्यापन स्वरूप समस्त अभिलेखो पर पद मुद्रा सहित हस्ताक्षर अंकित करें। भाग 1 आवेदक विभाग को भरना होता है तथा उसका सत्यापन वन विभाग द्वारा किया जाना है। प्रस्ताव भाग 2 की पूर्ति वनमण्डल धार द्वारा की जाना है इस हेतु निम्नलिखित जानकारी 10 दिवस में आवेदक विभाग एवं वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी संयुक्त स्थल निरीक्षण कर प्रस्तुत करे–

01 प्रस्तावित वनभूमि के अंर्गत वनखण्ड का नाम एवं वैधानिक स्थिति का उल्लेख करे एवं कक्षवार वनभूमि का क्षेत्रफल एवं कुल क्षेत्रफल देवे।

02 उक्त भूमि में अतिकमण की स्थिति से अवगत करावे।

03 प्रभावित वन क्षेत्र का घनत्व एवं साईट क्वालिटी, पाये जाने वाले वृक्षों की प्रजातियों का उल्लेख करे।

04 उक्त क्षेत्र या आसपास पाये जाने वाले वन्यप्राणीयों का नाम एवं उसका शेड्यूल क्लास वर्तमान कार्यआयोजना के अनुसार देवे।

05 फ्लोरा एवं फोना की जानकारी देवे।

06 प्रस्तावित क्षेत्र अंतर्गत कार्यआयोजना अनुसार कक्षों में लागू कार्यवृत्त का उल्लेख करे एवं विस्थापन की जानकारी देवे।

07 प्रस्तावित क्षेत्र अंतर्गत ऐतिहासिक / धार्मिक स्थल हो तो उल्लेख करे।

08 प्रस्तावित क्षेत्र में वनाधिकार पत्रधारी / राजस्व पट्टेधारी प्रभावित हो तो उनका उल्लेख करे।

09 प्रभावित वनभूमि रकबा 248.329 हे0 के बदले में दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र रकबा 500 हे0 की वैकल्पिक वृक्षारौपण योजना तैयार कर 04 प्रति में प्रस्तुत करे।

10 प्रभावित वृक्षों की संख्या एवं गोलाईवार विवरण, गोषवारा निम्नानुसार देवे–

I तालाव प्रकरण में वृक्षो का गणना पत्रक FRL पर निम्न प्रपत्र में तैयार करे।

Scanned by CamScanner

कक्ष कमांक	वृक्ष का वैज्ञानिक नाम	वृक्ष का स्थानीय नाम	गर्त (गोलाई से.मी. में)						
			0–30	31–60	61–90	91–120	121–150	150 से ऊपर	योग

।। वृक्षो का गणना पत्रक FRL से 2 meter नीचे निम्न प्रपत्र में तैयार करे।

क.	कक्ष कमांक	वृक्ष का वैज्ञानिक नाम	वृक्ष का स्थानीय नाम	गर्त (गोलाई से.मी. में)						
				0–30	31–60	61–90	91–120	121–150	150 से ऊपर	योग

।।। वृक्षो का गणना पत्रक FRL से 4 meter नीचे निम्न प्रपत्र में तैयार करे।

क.	कक्ष कमांक	वृक्ष का वैज्ञानिक नाम	वृक्ष का स्थानीय नाम	गर्त (गोलाई से.मी. में)						
				0–30	31–60	61–90	91–120	121–150	150 से ऊपर	योग

11 आवेदित क्षेत्र में कोई दुर्लभ वन्यप्राणी, ऐतिहासिक स्थल, दुर्लभ वनस्पति, कोई जनता संख्या सूची, आवेदित स्थल की वनखण्ड सीमा से दूरी, खरमोर अभयारण्य सरदारपुर एवं डायनासौर राष्ट्रीय उद्यान बाग से दूरी की जानकारी देना है।

12 आवेदक विभाग प्रभावित वन क्षेत्र के मानचित्र (1:15000 एवं 1:50000 स्केल पर) एवं प्रभावित वन भूमि के वदलें दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र को मानचित्र पर मार्क कर वन परिक्षेत्र एवं आवेदक विभाग के अधिकारीयों द्वारा हस्ताक्षर किये जावे तथा सभी दस्तावेज हार्ड कॉपी में इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करे।

उक्त जानकारी, अधिकतम 10 दिवस में अनिवार्य रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अतएव प्राथमिकता से कार्य सम्पादित करें।

संलग्न :– प्रस्ताव मूलतः 04 प्रति में।

वन मण्डल अधिकारी,
(क्षे.)वन मण्डल, धार

पृ0कमांक / मा.चि. / 2022 / धार, दिनांक / 05 / 2022

प्रतिलिपिः– 01 मुख्य वन संरक्षकं इन्दौर वृत्त इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

02 उप वनमण्डलाधिकारी सरदारपुर की ओर प्रस्ताव सत्यापन एवं आवश्यक समस्त अभिलेखो, प्रपत्रो, जानकारी मानचित्रो सहित मय सत्यापन हस्ताक्षर एवं सील सहित भेजे। इस कार्य में आवेदक, विभाग से कोई स्पष्टीकरण अभिलेख अथवा अन्य कोई जानकारी आवश्यक है तो उनसे सम्पर्क कर प्राप्त करे। दिनांक 30.05.2022 तक वांछित भाग 02 की जानकारी भेजना सुनिश्चित करे।

— s/—

वन मण्डल अधिकारी,
(क्षे.)वन मण्डल, धार

Scanned by CamScanner